राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(5)/ग्रावि/नरेगा/रागासेके/08–09 जयपुर, दिनांकः 6 JAN 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान ।

विषयः– पंचायत समिति मुख्यालय पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्रांक एफ 1(109)/आरडी/ग्रुप–8/2009 दिनांक 26.11.09 द्वारा पंचायत समिति मुख्यालय पर निर्मित किये जाने वाले भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्रों के निर्माण के कार्यो के बिभिन्न चरणों की समय सीमा निर्धारित की गई थी। इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश मय ड्राइंग व डिजाईन इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 19.12.09 द्वारा भी जारी किये गये थे।

इस संबध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन केन्द्रों का निर्माण दि. 09.11.09 को निर्धारित किये गये नक्शे अनुसार प्रारम्भ कर दिया गया है, उनका निर्माण कार्य तदनुसार ही पूर्ण करा लिया जावे। दिनांक 19.12.09 को जारी नवीन मानचित्र के अनुसार निर्मित किये जाने वाले क्षेत्रफल (3100 वर्गफीट) के अन्तर क्षेत्रफल का शेष निर्माण कार्य भूतल पर स्थान की उपलब्धता के अनुसार अतिरिक्त निर्माण अथवा प्रथम तल पर करवा लिया जावे, अर्थात यदि पूर्व में 1930 वर्गफीट का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तो शेष क्षेत्रफल 1070 का निर्माण भूतल पर स्थान की उपलब्धता अथवा प्रथम तल पर अतिरिक्त निर्माण कार्य करवा दिया जावे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पंचायत समिति पर निर्मित होने वाले राजीव गांधी सेवा केन्द्र के भवन निर्माण पर 21.80 लाख एवं सौर ऊर्जा बेकअप के लिए 3.20 लाख कुल 25.00 लाख रूपये अधिकतम व्यय किये जायेंगे।

पंचायत समिति मुख्यालय पर इन सेवा केन्द्रों का निर्माण पूर्व निर्धारित समय सीमा में ही सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय,
7/1/10
(तन्मय कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त राजस्थान।

परियोजना निदेशक, ईजीएस

D:\Rishi\Letter 23-01-09 (Director, EGS).doc